/104076/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
3. उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 06 ~~फरवरी~~ मार्च, 2023।

विषय : मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आमजन को प्राधिकरण स्तर से सरलतापूर्वक एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु समय–समय पर आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किए गये हैं। उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अनाधिकृत निर्माण को शमनित किए जाने हेतु एक बार समाधान योजना भी लागू की गयी है।

2. प्राधिकरण स्तर पर प्राप्त मानचित्र स्वीकृति के आवेदनों पर कार्यवाही की प्रक्रिया को जनोपयोगी तथा सरल बनाये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं–

1. <u>शमन</u>:–

(1) शमन मानचित्र स्वीकृति के आवेदन के प्रकरणों में समस्त आपत्तियाँ एक ही बार में आवेदक को प्रेषित की जायें।

(2) आपत्तियों के निराकरण हेतु आवेदक को आपत्ति / सूचना के प्रेषित किए जाने के पश्चात् प्रत्युत्तर दिये जाने की अधिकतम सीमा 15 दिवस निर्धारित की जाय। आपत्ति लगाये जाने के 7वें दिन आपत्ति / सूचना के संबंध में प्राधिकरण को प्रत्युत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदक को एक अनुस्मारक प्रेषित किया जाय।

(3) आवेदक द्वारा 15 दिवस के भीतर यदि प्रत्युत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित समयावधि 15 दिवसों के उपरांत अतिरिक्त 07 दिवसों का समय आवेदक को दिया जाए।

(4) निर्धारित समयावधि 15 दिवस पूर्ण होने के उपरांत आवेदक द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता हैं अथवा निर्धारित समय में समयावधि बढ़ाये जाने हेतु

/104076/2023

अनुरोध नहीं किया जाता है अथवा बढाई गयी अतिरिक्त समयावधि 07 दिवस में भी आवेदक द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है, तो इस स्थिति में शमन आवेदन निरस्त कर दिया जाय।

(5) आवेदक को मानचित्र शुल्क/चालान जमा किये जाने की सूचना प्रेषित किए जाने की स्थिति में आवेदक को 30 दिवसों का समय शुल्क जमा करने हेतु दिया जाए।

(6) आवेदक द्वारा 30 दिवस की समयावधि में यदि शुल्क/चालान जमा किये जाने हेतु समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निर्धारित समयावधि 30 दिवसों के उपरांत अतिरिक्त 14 दिवसों का समय आवेदक को दिया जाए।

(7) आवेदक द्वारा निर्धारित 30 दिवसों अथवा बढ़ायी हुई अतिरिक्त 14 दिवस की अवधि में शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में उसका मानचित्र स्वीकृति का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए।

नोटः– "एक बार समाधान योजना" के अन्तर्गत दिनांकः 30.09.2022 तक प्राप्त शमन आवेदनों के संबंध में प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>नवीन मानचित्र से संबंधित</u>:–

(1) नवीन मानचित्र हेतु प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति/सूचना के संबंध में आवेदक को सूचित किये जाने हेतु ऑनलाईन प्रणाली में 15 दिवसों की अवधि निर्धारित की गयी है, इस अवधि में आपत्ति का निराकरण न करने पर मानचित्र आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(2) नवीन मानचित्रों हेतु प्राधिकरण द्वारा शुल्क/चालान जमा किये जाने हेतु 30 दिवसों का समय पूर्व से निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में आवेदक द्वारा मानचित्र शुल्क/चालान जमा न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(3) प्राधिकरण, नवीन मानचित्र के आवेदन में एक बार में ही समस्त आपत्तियों से आवेदक को सूचित करेंगे। किसी भी दशा में आवेदन पर पुनः आपत्ति प्रेषित न की जाय। यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रेषित आपत्ति का निराकरण न किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में केवल एक बार और आपत्ति निस्तारण न किये जाने की बिन्दुवार स्पष्ट सूचना आवेदक को प्रेषित की जाय, जिसमें आवेदक द्वारा पूर्व प्रेषित आपत्तियों में किन–किन बिन्दुओं पर सूचना नहीं दी गयी है, का विस्तृत विवरण लिखते हुए, आवेदक को प्रेषित की जाय। आवेदक द्वारा पुनः आपत्तियों को दूर न किये जाने की स्थिति में आवेदन को निरस्त कर दिया जाय।

3. <u>मानचित्र स्वीकृति में अभिलेखों के परीक्षण की समानान्तर व्यवस्था</u>:–

<u>एकल आवासीय</u>:–

(1) भू–स्वामित्व की जॉच, तकनीक जॉच तथा भू–उपयोग जॉच हेतु 02 दिवस का समानान्तर समय दिया जाय।

/104076/2023

(2) स्थलीय निरीक्षण 02 दिवस में समानान्तर पूर्ण किया जाय।

(3) स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यदि भू–उपयोग, भू–स्वामित्व अथवा भवन उपविधि मानकों अथवा स्थलीय निरीक्षण से सम्बन्धित कोई की आपत्ति/सूचना आवेदक से प्राप्त की जानी हो, तो वह सूचना मानचित्र जमा करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने के 03 दिवस में प्राप्त की जाएगी तथा वह सूचना मानचित्र जमा करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने के 03 दिवस में आवेदक को सूचित कर दी जाय। यदि आवेदक को कोई भी आपत्ति संसूचित नहीं है, तो 02 दिवसों में अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, तो सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जायेगी।

(4) अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रकरणों पर शासनादेश संख्या–34, दिनांकः 07.01.2022 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा प्राधिकरण के अभियंता किन–किन विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, के संबंध में आधारों/कारणों का उल्लेख करते हुए, ऑनलाईन माध्यम से सम्बन्धित विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सूचना प्रेषित करेंगे।

(5) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की दशा में शासनादेश संख्या–34, दिनांकः 07.01.2022 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को डीम्ड मानते हुए, मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

(6) 15 दिवसों के अन्तर्गत मानचित्र निर्गत कर दिया जाय।

<u>गैर एकल आवासीय</u>ः–

(1) भू–स्वामित्व की जॉच, तकनीक जॉच तथा भू–उपयोग जॉच हेतु 02 दिवस का समानान्तर समय दिया जाय।

(2) अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 दिवसों के अन्तर्गत प्राप्त किया जाय।

(3) स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् यदि भू–उपयोग, भू–स्वामित्व अथवा भवन उपविधि मानकों अथवा स्थलीय निरीक्षण से सम्बन्धित कोई की आपत्ति/सूचना आवेदक से प्राप्त की जानी है, तो उसे 04 दिवसों के अन्तर्गत प्रेषित कर दी जाय।

(4) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की दशा में शासनादेश संख्या–34, दिनांकः 07.01.2022 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को डीम्ड मानते हुए मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

(5) 30वें दिवस अन्तर्गत मानचित्र निर्गत कर दिया जाय।

4. अतः उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 03-03-2023 15:40:43

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव ।